प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.02.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से चोरी की 10 बैटरी (जिसमें 02 इन्वर्टर बैटरी व 08 बैटरी ई-रिक्शा ओकाया कम्पनी) तथा 01 ईको-300 एएमपी बैल्डिंग मशीन व 01 बैटरी एमरीन, 02 इन्वर्टर बैटरी (माइक्रोटेक कम्पनी) बरामद ।

दिनांक 14.02.2025 को थाना मुरादनगर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 13/02/2025 की रात को गोदाम ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड पता C-13,14,15, C-23,24 खसरा नं0 360 हिसाली रोड गाँव महीद्दीनपुर हिसाली सूर्या विहार मुरादनगर गाजियाबाद से बैटरी, इनवर्टर, मोबाइल स्कैनर, स्कैप बैटरी -87 (ई-रिक्शा) स्क्रैप बैटरी -36(इनवर्टर /सोलर) चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 305(a),331(4),324(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.02.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.02.2025 को ग्राम रावली स्थिति निर्माणधीन फैक्ट्री से अज्ञात चोर द्वारा बैल्डिंग मशीन, बैटरी इन्वर्टर आदि चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के तत्काल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 16/17.02.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तों 1. कासिफ पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गली नं0 13 मलिक नगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2. कामिल पुत्र अख्तर निवासी गांव जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 3. सचिन पुत्र जयभगवान निवासी बैंक औफ बड़ोदा बाली गली कृष्णा कालोनी थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 30 वर्ष 4. सलमान पुत्र शौकीन निवसी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 5. राहुल पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की गयी 75 अदद औकाया कम्पनी की बैटरी (जिसमें 50 बैटरी ई – रिक्शा व 25 बैटरी बडी) व 03 अदद औकाया कम्पनी के इनवर्टर सील बन्द व घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 रंग लाल रजि0 नं0 DL7CL2478 बरामद की जा चुकी है।

दिनांक 23.02.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त मुल्ला उर्फ नसीम पुत्र इकबाल निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को कनौजा चितौडा रोड पर खेल ग्राऊण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही से चोरी की गयी 10 अदद बैटरी (जिसमें 02 अदद इनवर्टर बैटरी ओकाया कम्पनी व 08 अदद बैटरी ई रिक्शा ओकाया कम्पन्नी) सम्बन्धित मु0अ0सं0 68/25 धारा

305(a)/331(4)/324(4)/317(2) बी0एन0एस थाना मुरादनगर तथा एक अदद ईको 300 एएमपी बैल्डिंग मशीन व एक अदद बैटरी एमरीन , दो अदद इन्वर्टर बैटरी माइक्रोटेक सम्बन्धित मु0अ0सं0 69/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना मुरादनगर बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह ईको 300 एएमपी बैल्डिंग मशीन व एक बैटरी एमरीन व दो अदद इन्वर्टर बैटरी माइक्रोटेक व अन्य लोहे व पीतल के सामान को मैने व मेरे अन्य साथियो ने दिनांक 08.02.2025 की रात को नई बन रही कम्पनी बी एण्ड टी प्राईवेट लिमटेड रावली से चोरी किया था और इसे राहुल की आई10 गाडी से यहां लाकर छिपा दिया था और इसमें से कुछ सामान सोनू के पास है तथा बताया कि यह बैटरी/इन्वर्टर वही है जिन्हे हमने हिसाली फाटक के पास औकाया के गोदाम के पीछे के गेट का ताला तोड़कर व मेन गेट की चादर काटकर अन्दर घुसकर दिनांक 13/14.02.2025 की रात को चोरी किया था और गंगनहर पटरी किनारे खडी झाड़ियो में लाकर छिपा दिया था तथा मैं इन सभी सामान को बेचने के लिए ग्राहक तलाश में जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

मुल्ला उर्फ नसीम पुत्र इकबाल निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 36 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त सम्बंध में थाना मुरादनगर पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- 10 अदद बैटरी (जिसमें 02 अदद इन्वर्टर बैटरी ओकाया कम्पनी व 08 अदद बैटरी ई रिक्शा ओकाया कम्पन्नी) सम्बन्धित मु0अ0सं0 68/25 धारा 305(a)/331(4)/324(4)/317(2) बी0एन0एस थाना मुरादनगर
- एक अदद ईको 300 एएमपी बैल्डिंग मशीन व एक अदद बैटरी एमरीन , दो अदद इन्वर्टर बैटरी माइक्रोटेक सम्बन्धित मु0अ0सं0 69/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना मुरादनगर

<u>गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु की 01 चैन, पीली धातु की 04 कान की बाली, सफेद धातु की 06 पाजेब, 01 केतली, 01 कम्प्यूटर मानीटर, 02 सूटकेस aristrocrat कम्पनी के, 01 सैमसंग गैलेक्सी टेबलेट, 01 आधार कार्ड व 01 पैन कार्ड व 10,500/- रूपये बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण:-</u> दिनांक 23.02.2025 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. अभय उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल निवासी स्थायी पता-ग्राम मुण्डेर थाना पाली जिला हरदोई हाल पता राहुल यादव के मकान में गिट्टी प्लाण्ट के पास छिजारसी चोटपुर थाना-सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 33 वर्ष व 2. शाहरूख पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद सगीर खान निवासी स्थायी पता ग्राम भोजपुरा

थाना सासनी अड्डा जिला अलीगढ़ उ0प्र0 हाल पता चोटपुर कालौनी नदी रोड़ ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल के पास गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष को पवन विहार खोडा से पीली धातु की 01 चैन, पीली धातु की 04 कान की बाली, सफेद धातु की 06 पाजेब, 01 केतली, 01 कम्प्यूटर मानीटर, 02 सूटकेस aristrocrat कम्पनी के, 01 सैमसंग गैलेक्सी टेबलेट, 01 आधार कार्ड व 01 पैन कार्ड व 10,500/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभय उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल व शाहरूख पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद सगीर खान उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत दोनों अभियोग की धारा 305,305(A)/331(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्त्री कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कीजा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त अभय उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल व शाहरूख पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद सगीर खान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा पूर्व में करीब 02 माह पूर्व मोहल्ला सरस्वती विहार खोड़ा कॉलौनी के एक घर में से ज्वैलरी व अन्य सामान चोरी करने की घटना कारित की गई थी। ज्वैलरी को दोनों अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 16,000/- रूपये में बेच दिया गया था। जिसमें से दोनों अभियुक्त उपरोक्त ने 08-08 हजार रूपये आपस में बांट लिये थे तथा इसीक्रम में दोनों अभियुक् उपरोक्त द्वारा दिनांक 17.02.2025 को भी मोहल्ला वन्दना एन्कलेव में ज्वैलरी व अन्य सामान चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसमें से दोनो अभियुक्तों ने कुछ गहने 20,000/-रुपये में बेच दिए थे और 10-10 हजार रुपये आपस में बाँट लिए थे। दोनों अभियुक्त उपरोक्त से जो 10,500/-रुपये व अन्य सामान बरामद हुआ है वो इन्ही दोनों जगहों चोरी से किया था। शेष दोनों चोरियों से प्राप्त हुए रूपये को अभियुक्त उपरोक्त ने अपने शौक-मौज में खर्च कर दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-</u>

1. अभय उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रामकृपाल निवासी स्थायी पता-ग्राम मुण्डेर थाना पाली जिला हरदोई हाल पता राहुल यादव के मकान में गिट्टी प्लाण्ट के पास छिजारसी चोटपुर थाना-सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 33 वर्ष।
2. शाहरूख पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद सगीर खान निवासी स्थायी पता ग्राम भोजपुरा थाना सासनी अड्डा जिला अलीगढ़ उ0प्र0 हाल पता चोटपुर कालौनी नदी रोड़ ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल के पास गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- पीली धातु की 01 चैन, पीली धातु की 04 कान की बाली, सफेद धातु की 06 पाजेब, 01 केतली, 01 कम्प्यूटर मानीटर, 02 सूटकेस aristrocrat कम्पनी के, 01 सैमसंग गैलेक्सी टेबलेट, 01 आधार कार्ड व 01 पैन कार्ड व 10,500/- रूपये बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त अभय उर्फ सोनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना फेस-3 व सैक्टर 63 पर लूट, चोरी का माल बरामद होने व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन केमिकल खरीद के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 1 ATM कार्ड बरामद 3,60,000 रु0 रिफण्ड कराये गये, विभिन्न राज्यों की 05 घटनाओं का खुलासा।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य अभियुक्त चुकवुडी क्रिस्टोफर ओडुहा उर्फ सन्नी एवं प्रधान गौरव कुमार को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा एक डेबिट कार्ड (नैनीताल बैंक लिमिटेड) के साथ थाना क्षेत्र नंदग्राम गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 02.02.2024 को श्री सूचित यादव सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी निवासी वसुन्धरा, गाजियाबाद ने अपने साथ केमिकल खरीद के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना के सम्बन्ध में इन्दिरापुरम में एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें अभियुक्तों द्वारा TINESH MANUFACTURIND ENTERPRISES PVT. LTD. के नाम से SYDRAZINE CHEMICAL LIQUID की सप्लाई के नाम पर विभिन्न तिथियों में 89 लाख रूपये ट्रान्सफर कराये गये थे।

घटना में प्रयुक्त वेबसाइट TINESHMANUFACTURING.COM एवं अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयोग की गयी ईमेल आईडी SALES@TINESHMANUFACTURING.COM की डिटेल से ज्ञात हुआ कि यह वेबसाइट नाईजीरिया से संचालित है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त CHUKWUDI CRISTOPHER ODUAH ने पूछताछ मे बताया कि कि उनका एक गैंग है, इस गैंग का एक सदस्य CAPACITY HUMAN HAIR नाईजीरिया में रहता है, उसके द्वारा वेबसाइट एवं ईमेल के माध्यम से लोगों से केमिकल सप्लाई, बिटक्वाइन ट्रेडिंग, शादी का झांसा देने, विभिन्न प्रोडक्ट सेल करने के नाम पर फ्रॉड किया जाता है। अभियुक्त CHUKWUDI CRISTOPHER ODUAH ने बताया कि वह ओनोकोया लेन पापा-अजाओ, मुशिन, नाइजेरिया से भारत कपडे का व्यवसाय करने के लिए आया था। कोविड के समय में वह व्यवसाय नही कर सका आर्थिक तंगी के कारण एक अन्य नाइजीरियन व्यक्ति मिला, जिसका नाम capacity human hair है, इस व्यक्ति नें उसे भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराने के बदलें में पैसे देने का ऑफर किया आर्थिक तंगी की वजह से उसकी बात मानकर उसे बैंक खाते उपलब्ध कराने लगा। capacity human hair 2022 में नाइजीरिया वापस चला गया। उसे मोबाईल पर खाते की डिटेल देता था। इन खातों में जो पैसे आते थे उसे एटीएम से निकालकर capacity human hair द्वारा बताये गये व्यक्ति को दे देता था। अभियुक्त प्रधान गौरव कुमार ने पूछने पर बताया कि वो डाबरी दिल्ली में पिछले कई वर्षो से प्रोपर्टी डीलर का काम करता था लाकडाउन के बाद से प्रापर्टी का काम ठीक नहीं चल रहा था, दो वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात एक नाइजीरियन व्यक्ति CHUKWUDI CHRISTOPHER ODUAH उर्फ SUNNY से जनकपुरी दिल्ली में हुई थी। CHUKWUDI CHRISTOPHER ODUAH उर्फ SUNNY ने बैंक खाते के बदले में पैसे देने का ऑफर दिया। आर्थिक तंगी की वजह से वह बैंक खाते उपलब्ध कराने लगा। प्रति बैंक खाता 12 हजार रुपये उसे मिला करता था।

इनसे प्राप्त जानकारी/बरामदगी से हेब्बल मैसूर सिटी, कर्नाटक निवासी सुश्री दिव्या रानी सीएन के साथ 1.20 लाख रूपये की साइबर फ्रॉड, महादेवपुरा बैगलौर सिटी, कर्नाटक निवासी सुश्री पायल खत्री के साथ 2.33 लाख रूपये, पिंपरी चिनेवाड महाराष्ट्र निवासी श्री केदार मोहिरे से 4.39 लाख रूपये, बन्दकी दौसा, राजस्थान निवासी श्री पंकज कुमार व्यास के साथ 10 हजार रूपये, उमरगा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र निवासी अभय खरोसेकर के साथ 3.37 लाख रूपये के साइबर फ्रॉड की घटना का खुलासा हुआ है।

अभियुक्तगण से प्राप्त मोबाइल का प्रयोग उपरोक्त फ्रॉड की घटनाओं में प्रयुक्त बैंक खातों को ऑपरेट करने में किया गया है।

अभियुक्त गण को नन्दग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. CHUKWUDI CRISTOPHER ODUAH उर्फ SUNNY पुत्र FELIX ODUAH निवासी 4, ONOKOYA LANE PAPA-AJAO, MUSHIN REPUBLIC OF NIGERIA हाल पता P-53 ब्लॉक सी चाणक्य प्लेस 1, रानी बाग, न्यू दिल्ली 110045 उम्र करीब 44 वर्ष शिक्षा कम्प्यूटर ओ लेवल सर्टिफिकेट, सेकेण्डरी स्कूल।

2. प्रधान गौरव कुमार पुत्र सतीश प्रसाद निवासी हालपता फ्लैट नं0 709, सन-2, मिगसन रूफ, राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद मूलपता वार्ड नं0 01, अष्टभुजी चौक, रामपुर कालोनी जिला भभुआ बिहार उम्र करीब 41 वर्ष शिक्षा स्नातक।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 22/2023 धारा 120 बी8204/384/419/420/467/468/471 भादवि व धारा 66 डी आइटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, गुरूग्राम हरियाणा।

बरामदगी का विवरण – घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 1 ATM कार्ड

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 24.02.2025 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी पहला पुस्ता रोड़ी प्लांट कुलेसरा ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 19 वर्ष को साई मंदिर वाली गली निकट गुर्जर गेट प्रगति विहार खोडा से चोरी का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र सतीश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र सतीश कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह मोटरसाइकिल अभियुक्त उपरोक्त ने मोहनगंज जिला अमेठी उ0प्र0 से 4-5 महीने पहले चोरी की थी। जिसका प्रयोग अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथी मोबाइल फोन चोरी करने व छीनने में करते हैं। इसीक्रम में दिनांक 19.02.2025 की रात्रि को एसेंस पब्लिक स्कूल के पास अम्बेडकर गेट से अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथी बॉबी ठाकुर पुत्र जगपाल निवासी गली नं0 8 प्रगति विहार खोड़ा कॉलोनी व शोभित यादव पुत्र शिवानंद यादव निवासी मंगलम डेरी दिल्ली ने इसी मोटरसाइकिल के द्वारा एक राहगीर के हाथ में से मोबाइल फोन छीना था। जिसे तीनों अभियुक्त उपरोक्त ने दिल्ली गाजीपुर के पास 2,000/- रूपये में राह चलते व्यक्ति को बेच दिया तथा मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त पैसे को नशा करने में खर्च कर दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लोकेश कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी पहला पुस्ता रोड़ी प्लांट कुलेसरा ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र सतीश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।